RNI Regn. No. : UPHIN/2004/13685

पत्रिका

कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश

(रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या : 819/1987–88)
वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ – 226 004
फोन : 0522–2242486 मोबाइल : 9415418566, 9335019355 फैक्स : 0522–2242486
E-mail : coldstorage@fcaoi.org Website : http://www.fcaoi.org
श्री जी.एस. धीरानी, सेक्रेट्री जनरल : 9839013400, 9335519355

मूल्य : 1/– रु0 30 सितम्बर, 2017 मासिक पत्रिका : अध्यक्ष : श्री महेन्द्र स्वरूप, ऐशबाग, लखनऊ। सचिव : श्री वीरेन्द्र सिंह, श्री मोहित अग्रवाल वर्ष : 14, अंक : 4

संगठन ही शक्ति है

बन्धुवर,

आपको दशहरा व दीपावली की शुभकामनाएँ।

जब तक हमारी पत्रिका आप तक पहुचेगी आप दशहरा का पर्व उत्साहपूर्वक मना चुके होंगे। दीपावली का पर्व आप अपने समस्त परिवार के साथ सउल्लास मनाये यह हमारी शुभकामना है। हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि यह दीपावली आपके घर में सारी खुशियाँ व धन धान्य लेकर आए।

आलू की स्थिति काफी डावा डोल चल रही है। निकासी बहुत धीमी है। अनुमान लगाया जा रहा है कि सितम्बर माह के अन्त तक 50 प्रतिशत आलू शीतगृह से निकल जायेगा।

वैसे कुछ क्षेत्रों में, जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश, आलू की निकासी का औसत काफी कम होगा क्योंकि

→

यहाँ इस क्षेत्र में अधिकतर वह आलू भण्डारित किया जाता है जो बीज के काम आता है और इसकी निकासी का सीजन अभी चालू नहीं हुआ है।

वर्षा के देर तक होने के कारण व मौसम में गर्मी रहने के कारण, नई फसल की बुआई नहीं हो पाई है या बहुत कम हुई है। इस कारण भण्डारित आलू को कम से कम 15 से 20 दिन का अतिरिक्त सीजन मिल जायेगा। नई फसल लेट आएगी और आएगी भी तो इतनी हल्की मात्रा में कि उसका कोई असर बाजार पर नहीं पड़ेगा, दोनों आलू साथ–साथ बिकते रहेंगे। इस प्रकार शीतगृहों में भण्डारित आलू की पूरी तरह निकल जाने की सम्भावना बनी हुई है। पूर्वी क्षेत्र का आलू तो दिसम्बर माह तक माँगा जाता है।

हमें अपने आलू को हर रेट पर थोड़ा–थोड़ा बेचते ही रहना चाहिए या बेचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। किसी भी स्तर पर यह सोचना कि अब रेट बढ़ेंगे पूरी तरह गलत होगा।

मौजूदा हालात को देखते हुए सब आलू निकल जाए और शीतगृहस्वामियों को अपना भाड़ा मिल जाए, तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसलिए महँगाई की निगाह बनाना गलत भी साबित हो सकता है। वैसे तो किसान आलू की फसल से काफी हतोत्साहित है, परन्तु फिर भी, अगले वर्ष के लिए आलू की बुआई में कमी आने की सम्भावना से मना नहीं किया जा सकता, लेकिन कम बुआई के रहते भी, यदि फसल में रोग ना लगे तो, शीतगृहों के लिए आलू काफी हो जायेगा परन्तु जिस मात्रा में नए शीतगृह आ रहे है निश्चित रूप से कुछ भी कह पाना इस कठिन ही होगा। यह तो बात पक्की है कि किसान भण्डारित आलू के प्रति काफी निराश है। अतः वह अगले वर्ष भण्डारण के प्रति कितना उत्साहित होता है, यह देखने की बात है।

लाइसेन्स नवीकरण के सम्बन्ध में :

कृपया ध्यान दें, कि जिन शीतगृहों के लाइसेन्स प्रति वर्ष नवीकरण फिर चाहते है, की वह अपने शीतगृह लाइसेन्स की नवीकरण फीस 31/10/2017 तक अवश्य जमा कर दें अन्यथा उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। लाईसेन्स नवीकरण कराते वक्त यह ध्यान दें कि आपको लाईसेन्स फीस देते वक्त चालान पर जिला उद्यान अधिकारी के हस्ताक्षर जरूरी नही है। इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा जारी आदेश इस प्रकार है।

कोल्ड स्टोरेज लाइसेन्स के नवीनीकरण हेतु समयावधि	11. उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज लाइसेन्स देना नियमावली 1976 द्वारा निर्धारित नियमों का अनुसरण करते हुए और लाइसेंसिंग अधिकारी (कोल्ड स्टोरेज) एवं निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उ.प्र. द्वारा समय–समय पर निर्धारित औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए निर्धारित नवीनीकरण के प्रार्थना पत्र जनपदीय उद्यान अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत किये जायेंगे। और जनपदीय द्वारा उपरोक्त बिन्दु 10 की भाँति प्राप्त रसीद दी जायेगी और

→

समस्त कार्यवाही पूर्ण कर प्रकरण को सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी एवं लाइसेंसिंग अधिकारी कोल्ड स्टोरेज के समक्ष अधिकतम एक सप्ताह की अवधि में प्रस्तुत किया जायेगा और जिलाधिकारी/लाइसेंसिंग अधिकारी कोल्ड स्टोरेज द्वारा नवीनीकरण की पत्रावलियों का निस्तारण अधिकतम 5 दिनों में किया जायेगा किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि कोल्ड स्टोरेज के लाइसेन्स को सामान्य नवीनीकरण की कार्यवाही पिछले वर्ष के नवम्बर माह के प्रथम पक्ष तक प्रत्येक दशा में सम्पादित करा दी जायेगी। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि **जनपदीय उद्यान कार्यालय द्वारा समस्त लाइसेंसधारियों को ट्रेजरी चालान प्रपत्र जिला उद्यान अधिकारी के हस्ताक्षर अनिवार्य नहीं है और न ही इस हेतु लाइसेन्सधारी को बाध्य किया जाये।**

2. कृपया उपर्युक्त निर्देशों से अपने अधीनस्थों को भी अवगत करा दें।

भवदीय

ह0/–

(अरविन्द मोहन)

सचिव

संख्या : 3532(1)/अठ्ठावन–1–98–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलीय उप निदेशक उद्यान, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक राजकीय उद्यान/आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी उत्तर प्रदेश।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

ह0/–

(मुहम्मद सालिम उस्मानी)

उप सचिव

→

शीतगृह लाईसेन्स का पाँच वर्ष के लिए नवीकरण करायें :

हम अपने सदस्यो को बराबर सलाह देते चले आ रहे है कि वह अपने शीतगृह का लाईसेंन्स 5 वर्ष के लिए नवीकरण कराऐ। इस से आप पाँच साल तक बड़े चैन से बैठ सकते है। इस सम्बन्ध में हम सरकार द्वारा जारी अधिसूचना यहाँ प्रस्तुत कर रहे है। इसे दिखाकर आप किसी भी जिला उद्यान अधिकारी को यह कह सकते है कि इस नियम के अर्न्तगत आपका कोल्ड स्टोरेज लाइसेन्स 5 साल के लिए नवीकरण किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश शासन

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग–1

संख्या–379 / 58–1–2001–100 (27) / 96

लखनऊ : दिनांक 23 अगस्त, 2001

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–11 सन् 1976) की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन (लाइसेंस देना) नियमावली 1976 का संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) नियमावली उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन (लाइसेन्स देना) (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2001 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 9 का संशोधन 2. उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन (लाइसेन्स देना) नियमावली 1976 में नीचे स्तम्भ–1 में विद्यमान नियम–9 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
9– धारा 7 में निर्धारित शर्तों या धारा 42 के अधीन राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये निर्देशों के यदि कोई हो, अधीन रहते हुए धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन दिया गया लाइसेन्स	9– धारा 7 में निर्धारित शर्तों या धारा 42 के अधीन राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये निर्देशों के यदि कोई हो, अधीन रहते हुए धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन दिया गया लाइसेंस

→

इस नियमावली के नियम–10 के अधीन लाइसेंसधारी के आवेदन पत्र पर और नियम–11 के अधीन विहित फीस देने पर, समय–समय पर एक कैलेण्डर वर्ष के लिए नवीकृत किया जायेगा।	इस नियमावली के नियम–10 के अधीन लाइसेंसधारी के आवेदन पत्र पर और नियम–11 के अधीन विहित फीस देने पर, समय–समय पर एक कैलेण्डर वर्ष के लिए नवीकृत किया जायेगा। प्रतिबन्ध यह है कि एक कैलेण्डर वर्ष के लिये विहित फीस का चार गुना अग्रिम भुगतान करने पर किसी लाइसेंस का नवीकरण पाँच वर्ष के लिए किया जा सकता है।

आज्ञा से

ह0/–

(राकेश कुमार मित्तल)

सचिव

संख्या : 379(1)/58–1–2001 – तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अधीक्षक, राजकीय मुद्राणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया उपर्युक्त अधिसूचना की आगामी असाधारण गजट के विधायी प्रविष्टि के भाग–4 खण्ड 'ख' में अवश्य प्रकाशित करा दें।
2. निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ.प्र., लखनऊ
3. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ.प्र. (विज्ञापन प्रभाग), लखनऊ को व्यापक प्रचार हेतु।
4. समस्त जिलाधिकारी।
5. समस्त जिला उद्यान अधिकारी।
6. अध्यक्ष, उ.प्र. कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन, ऐशबाग, लखनऊ।

आज्ञा से

ह0/–

(राम कृपाल सिंह)

विशेष सचिव

→

भण्डारित आलू के सम्बन्ध में सावधानियाँ :

आलू में थोड़े या बहुत अंकुरण होने के समाचार मिल रहे है। यदि इस समय अंकुरण को नहीं रोका गया तो शीतगृहस्वामियों को शीघ्र ही काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

शीतगृहों को चाहिए कि अपने यहाँ आलू के बोरों की तुरन्त पलटाई करवा दें। जगह–जगह गैलरी छोड़े और देखें की आलू की छल्ली दिवाल से कम से कम 1 फुट दूर है। इस तरह से पूरे कमरे में हवा का घुमाव बनाना मुख्य उद्देश्य है।

1. हवा का कम घुमाव या तापमान का शीतगृह कक्ष में बढ़ जाना अंकुरण के मुख्य कारण होते है। इस पर ध्यान दें।
2. जमीन पर गिरे हुए आलू को हाथ के हाथ बिनवाते चलें, इससे एक तो आलू बरबाद नहीं होता, दूसरे जल्दी से चूहे नहीं पनपते। तीसरे गिरे हुए आलू से यदि किसी किसान की लॉट में वजन में कमी आ जाती है तो पूरी की जा सकती है।
3. भण्डारण के समय यदि कुछ बोरे फट गए है, तो उन्हे हाथ के हाथ सिलवाते चले। फटे हुए बोरो से आलू बाहर गिरता रहता है। इस से लाट का वजन कम होता है और फिर भन्डारणकर्ता की शिकायत आ जाती है।
4. आलू को बाहर शेड में सुखाने का जहाँ पर भी चलन हो उन शीतगृहस्वामियों को अपने यहाँ समुचित शेड की व्यवस्था रखनी जरूरी हैं। अक्टूबर माह में माल बहुत तेजी से निकलेगा और आप निकासी का फायदा जभी उठा सकेंगे जब आप पर आलू सुखाने के लिए शेड काफी होंगे। शेड के अन्दर आलू सुखाने के लिए समुचित हवा का प्रबन्ध होना चाहिए जो कि Ceiling fan या exhaust fan से किया जा सकता है। यदि आपको Temporary shed की जरूरत हो तो भी बनवा डालिए।

जी.एस.टी के सम्बन्ध में :–

जहाँ तक हमने अपनी ओर से जितनी सूचना एकट्ठी करी है, उसके अनुसार कोल्ड स्टोरेज जो कृषि उत्पाद रखते है उन्हे जी.एस.टी से छूट दे दी गई है।

इस सम्बन्ध में जो भी और साक्ष्य जुटाना चाहते है या और विस्तृत जानकारी चाहते है वह जी. एस.टी की Guide Book जो कि Snow white कम्पनी ने प्रकाशित की है व श्री P.L. Subramanian द्वारा संकलित है आप देख सकते हैं।

इसमें पृष्ठ 5.45 पर दिया हुआ है कि भण्डारण या वेयर हाउसिंग कृषि का, जी.एस.टी से छूट के दायरे को आता है। →

हम आपकी और जानकारी के लिए इस पुस्तक का पृष्ठ 5.45 यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। वैसे आप अपने कर विशेषज्ञ या Chartered Accountant से भी संपर्क करें तो अच्छा होगा।

Sl. No.	Chapter, Section Heading, Group or Service Code (Tariff)	Description of Services	Rate (percent)	Condition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
54	Heading 9986	Services relating to cultivation of plants and rearing of all life forms of animals, except the rearing of horses, for food, fibre, fuel, raw material or other similar products or agricultural produce by way of - (a) agricultural operations directly related to production of any agricultural produce including cultivation, harvesting, threshing, plant protection or testing : (b) supply of farm labour; (c) processes carried out at an agricultural farm including tending, pruning, cutting, harvesting, drying, cleaning, trimming, sun drying, fumigating, curing, sorting, grading, cooling or bulk packaging and such like operations which do not alter the essential characteristics of agricultural produce but make it only marketable for the primary market; (d) renting or leasing of agro machinery or vacant land with or without a structure incidental to its use; (e) leading, unloading, packing, storage or warehousing of agricultural produce; (f) agricultural extension services; (g) services by any Agricultural Produce Marketing Committee or Board or Services provided by a commission agent for sale or purchase of agricultural produce.	Nil	Nil

→

विद्युत सम्बन्धी :

बिजली बिल पर समय के अन्दर भुगतान करने पर छूट :

कृपया ध्यान दें कि मई माह 2017 से बिजली विभाग ने बिजली के बिलों पर समय रहते भुगतान करने पर 1/2 प्रतिशत के बदले 1 प्रतिशत छूट देने की घोषणा की है। हमें यह छूट मई 2017 माह के बिल पर जिसका कि भुगतान जून मे होता है से मिल रही है। बहुत से शीतगृहो कों बिजली विभाग यह छूट नही दे रहा है केवल यह कह कर के उनके सज्ञांन मे नही है कि ऐसी कोई छूट दी जा रही है। आप भी इस छूट का लाभ उठा सकते है।

चेन्नई मीटिंग के सबन्ध में :

बन्धुवर,

हर वर्ष की भति इस वर्ष जाड़ों में फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन्स ऑफ इण्डिया और कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की सयुक्त मीटिंग अयोजित की जा रही है। यह मीटिंग तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई मे 18 नवम्बर, 2017 को आयोजित की जायेगी। चेन्नई मे यह मीटिंग चेन्नई ट्रेड सेन्टर (सी.टी.सी) 6ए, 6बी, 6सी, माउंट पूनामाले हाई रोड, सी.टी.सी. काम्पलेक्स, नंदंबक्कम, चेन्नई, तमिलनाडु पिन–600089 फोन नम्बर 044–22313555 में होगी।

यह मीटिंग ICE Centre of Excellence के सहयोग से अयोजित की जा रही है। इसमें ICE Centre of Excellence अपनी मीटिंग चेन्नई कनवेंशन सेन्टर में ही 17/18/19 नवम्बर, 2017 को आयोजित करेंगे।

आप सबसे अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में इस मीटिंग में सम्मलित हो और हो सके तो ICE की मीटिंग भी 17/18/19 नवम्बर, 2017 को attend करें। यहाँ पर वह एक प्रदर्शनी का आयोजन भी कर रहे हैं जो बहुत आकर्षक होगी।

शीतगृहस्वामियों के लिए निम्न सुविधाएँ उपलब्ध रहेगी :–

1. शीतगृहस्वामियों के ठहरने की व्यवस्था कुबेर इन होटल, नम्बर वेस्ट सी.आई.टी. नगर लुप स्ट्रीट, नंदनाम, चेन्नई, तमिलनाडु पिन–600035 मोबाइल–09941198410, 09841825790 फोन नम्बर 044–23341795 मे की गई है। एक कमरे में दो व्यक्तियों के आधार पर 17 की रात वा 18 की रात के लिए फ्री होगी। इस प्रकार एक व्यक्ति एक शीतगृह से इसका फायदा उठा सकता है। ठहरने वाले व्यक्ति का शीतगृहस्वामी होना आवश्यक है। 19 तारीख को दोपहर 12 बजे तक होटल से चेक आउट करना है।
2. कोई भी दूसरा व्यक्ति जो साथ मे होगा उसके लिए 1550 रूपए प्रति व्यक्ति प्रति रात्रि के हिसाब से देय होगा। ठहरने की व्यवस्था एक कमरे में दो व्यक्तियों के आधार पर होगी। →

3. यदि कोई अतिरिक्त बेड नही लिया जाता, तो 5 साल से छोटे बच्चे फ्री होगे।
4. यदि एक कमरे मे तीन व्यक्ति ठहरने है तो होटल के नियमानुसार चार्ज लिया जाऐगा।
5. दोनों दिन भोजन का कोई चार्ज नहीं होगा।
6. प्रति व्यक्ति रजिस्ट्रेशन चार्ज 500 रूपए होगा।
7. लखनऊ से हवाई जहाज की सीधी फलाइट सुबह 6 बजे जाती है और 9 बजे चेन्नई पहुँच जाती है। इस प्रकार आप 17 तारीख के ही मीटिंग ICE की attend कर सकते है और दो बजे होटल चेक इन कर सकते हैं क्योंकि हो सकता है से आपके कमरे शाम दो बजे तक ही तैयार हो।
8. Danfoss कम्पनी ने शटल बस सार्विस का इन्तजाम किया है जो कि सदस्यों को होटल से लायेगी वा ले जायेगी।
9. एसोसिएशन ऑफ कोल्ड स्टोरेजस तमिलनाडु ने 18 तारीख को सायं 4 बजे से लोकल टूयर का इन्तजाम करा है और साथ मे रात्रि भोजन की व्यवस्था की गई है।
10. जो लोग 19 तारीख से आगे जैसे तिरुपति, रामेश्वरम्, कोडाईकनाल जाना चाहते है वह अपने खर्च से जा सकते है। लोकल टूयर आपरेटर का इन्तजाम किया जा सकता है। यदि आप ऐसा चाहते है तो हमे लिख भेजिए।
11. यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप मीटिंग में पहुँच रहे है, जिससे कि आप के नाम से होटल में कमरा बुक कराया जा सके, आपको 3000 रूपए का एक चेक फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन्स ऑफ इण्डिया के नाम से निम्न पते पर भेजना होगा :–

फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन्स ऑफ इण्डिया
केयर ऑफ स्वरूप कोल्ड स्टोरेज
वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग,
लखनऊ पिन : 226004 (उत्तर प्रदेश)
फोन : 0522–2242486

मीटिंग के बाद यह धन आपको वापस कर दिया जायेगा।

12. **3000 रुपए का यह चेक हमें 20.10.2017 तक अवश्य पहुँच जाना चाहिए** जिससे कि हम होटल की बुकिंग करा सकें। चेन्नई में प्रोग्राम इस प्रकार रहेगा :–

→

दिनांक	समय	प्रोग्राम
17.11.2017	सुबह 9:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक	होटल एंड चेन्नई ट्रेड सेंटर के बीच शटल सेवा
17.11.2017	सुबह 10.00 बजे	चेन्नई ट्रेड सेंटर में ICE एक्सपो 17 का उद्घाटन
17.11.2017	–	रजिस्ट्रेशन
17.11.2017	दोपहर 1:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक	चेन्नई ट्रेड सेंटर में दोपहर का भोजन
17.11.2017	दोपहर 3.30 बजे से सायं 6:30 बजे तक	होटल एंड चेन्नई ट्रेड सेंटर के बीच शटल सेवा
17.11.2017	–	होटल फेदर पर डेनफॉस ICE अवार्ड नाईट
18.11.2017	सुबह 7:00 बजे	होटल में नाश्ता
18.11.2017	सुबह 9.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक	होटल चेन्नई ट्रेड सेंटर के बीच शटल सेवा
18.11.2017	सुबह 10:00 बजे	फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन्स ऑफ इण्डिया वार्षिक आम बैठक चेन्नई ट्रेड सेंटर मीटिंग हॉल
18.11.2017	–	वार्षिक आम बैठक
18.11.2017	दोपहर 1:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक	चेन्नई ट्रेड सेंटर में दोपहर का भोजन
18.11.2017	दोपहर 2:30 बजे से सायं 4:00 बजे तक	वार्षिक आम बैठक
18.11.2017	सायं 4:00 बजे	स्थानीय टूयर और डिनर
19.11.2017	–	ट्रांसपोर्ट
19.11.2017	–	होटल से चेकआउट
	–	दक्षिण टूयर–तिरुपति, रामेश्वरम्, कोडाईकनाल आदि

शीतगृह की फन्टियाँ उपलब्ध :

कृपया ध्यान दें :–

मिर्जापुर में अग्रवाल कोल्ड स्टोरेज तोड़ा जा रहा है जिसकी रैक्स मे लगी फन्टियाँ बहुत ही सस्ते रेट पर उपलब्ध है, जो कि नए बनने वाले शीतगृहों व पुराने मरम्मत होने वाले शीतगृहों के सीधे काम में आ सकती है।

साइज :

6 फुट × 3" × 2" और 1½ फुट 3" × 2" की है।

जो भी इन फन्टियों का निरीक्षण करना चाहते है निम्न पते पर जाकर संपर्क कर सकते हैं।

अग्रवाल कोल्ड स्टोरेज

पुलिस लाइन रोड, मिर्जापुर (उ.प्र.) 231001

श्री शिवम अग्रवाल, मोबाइल : 9415272621, 9208160250

शोक संदेश

श्री शंकर लाल गुरू

बड़े शोक के साथ सूचित करते है कि श्री आशीष गुरू, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन्स ऑफ इण्डिया के पूज्य पिता जी श्री शंकरलाल गुरू का दिनांक 4.9.2017 को स्वर्गवास हो गया।

हम भगवान से प्रार्थना करते है कि दिवगंत आत्मा को शांति प्रदान करें और समस्त परिवार को इस अपूर्णनीय क्षति को वहन करने का साहस दें।

प्रदेश समाचार :

बदायूँ : बदायूँ से हमारे उपाध्यक्ष, श्री सुभाष चन्द्र अग्रवाल ने सूचित किया है कि बदायूँ क्षेत्र में इस समय चिपसोना आलू 250–300 रूपये पैकट बिक रहा है, पुरवराज 3797 आलू 150–175 रूपये पैकट बिक रहा है। किसान अभी भी बेचने में दिलचस्पी नहीं रख रहे है और माल को रोकना चाहते है। बदायूँ की जनपद एसोसिएशन द्वारा यह सूचना जिला अधिकारी को भी दे दी गई है और उनसे कहा गया है कि निकासी बहुत कम है और वह अपने स्तर पर कुछ प्रयास करें। बरेली रीजन की निकासी 35 प्रतिशत से 45 प्रतिशत के बीच में आंकी जा सकती है।

अलीगढ : आलू बिक्री का हाल करीब–करीब मन्दा ही है और रेट भी नीचे ही चल रहे है। जी.एस.टी. पर आपने एक अलग मीटिंग की थी जिसमें कुछ विशेषज्ञों को बुलाया था। संक्षेप में, उनके द्वारा कराई गई बात से यह निष्कर्ष निकलता है कि शीतगृहों पर जी,एस,टी नही है और ना ही शीतगृहों से माल लाने ले जाने पर है। वैसे हम फिर भी जी.एस.टी. के बारे में और सूचना एकत्रित कर रहे है। 18/11/2017 की चेन्नई में होने वाली मीटिंग में जी.एस.टी. पर विशेष चर्चा रखी गई है।

सेवा में,

Postal Registration No. : SSP/LW/NP-65/2017-2019

....

....

प्रकाशक, मुद्रक, सम्पादक एवं स्वामी महेन्द्र स्वरूप, कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश, स्वरूप कोल्ड स्टोरेज, वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ से प्रकाशित एवं रोहिताश्व प्रिण्टर्स, ऐशबाग रोड, लखनऊ द्वारा मुद्रित